

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा
(खनन अनुभाग)

पत्रांक : 1998 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : जून 21, 2023

ई-निविदा सह ई-नीलामी आमन्त्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बाँदा में नदी तल में उपलब्ध बालू/मौरम के रिक्त क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-23(1) के अन्तर्गत ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से उक्त नियमावली के अध्याय-4 के तहत खनन पट्टा पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्धता घोषित करते हुये इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं को निम्नवत् शर्तों व कालयोजना/अवधि में ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु आमंत्रित किया जाता है :-

1. क्षेत्र का विवरण :-

क्र० सं०	उप खनिज का नाम	नदी का नाम	क्षेत्र विवरण				जियोकोर्डिनेट बिन्दु-A बिन्दु-B बिन्दु-C बिन्दु-D	नियमावली 2021 के अनुसूची -1 के अनुसार रायल्टी दर (₹0 प्रति घनमी०)	Reple-nishment study के उपरान्त खनन योग्य आंकलित उप खनिज की मात्रा क्षेत्रफल के अनुपात में (घनमी० प्रथम वर्ष)	प्रथम वर्ष में आंकलित मात्रा की कुल रायल्टी रुपयों में। (कालम 10 में अंकित घनमी० प्रथम वर्ष को कालम-9 में अंकित रायल्टी की दर से गुणा करने पर उपलब्ध सकल घनराशि)	अर्नेस्ट मनी (कालम 11 में अंकित सकल घनराशि का 25 प्रतिशत)
			तहसील	ग्राम/ एरिया कोड	गाटा सं०/ खण्ड सं०/ जोन सं०	क्षेत्रफल (हे० में)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	बालू/ नोरम	बागे	अतर्रा	तरसूमा / 1552590201	2/2, 3	3.11	A- 25°13'25.35"N 80°38'17.16"E B- 25°13'25.22"N 80°38'8.47"E C- 25°13'22.08"N 80°38'1.41"E D- 25°13'14.22"N 80°37'52.55"E E- 25°13'12.46"N 80°37'50.19"E F- 25°13'10.48"N 80°37'43.61"E G- 25°13'10.93"N 80°37'43.67"E H- 25°13'11.75"N 80°37'46.63"E H1- 25°13'15.48"N 80°37'52.69"E I- 25°13'17.42"N 80°37'54.48"E J- 25°13'18.33"N 80°37'56.37"E K- 25°13'23.50"N 80°38'1.00"E L- 25°13'26.27"N 80°38'6.01"E M- 25°13'27.41"N 80°38'12.62"E	150.00	38140	57,21,000	14,30,250
2.	बालू/ मौरम	रंज	नरैनी	बरकोला कलां / 1553810201	659, 724, 805	10.00	A-25° 7'49.11"N 80°27'3.78"E B- 25° 7'47.84"N 80°27'3.26"E C- 25° 7'48.36"N 80°27'1.95"E D- 25° 7'48.46"N 80°27'1.03"E E- 25° 7'48.05"N 80°27'0.64"E F- 25° 7'44.77"N 80°27'1.31"E G- 25° 7'42.59"N 80°27'2.67"E H- 25° 7'40.66"N 80°27'2.76"E I- 25° 7'39.30"N 80°27'1.30"E J- 25° 7'37.47"N 80°26'55.97"E K- 25° 7'37.33"N 80°26'53.90"E L- 25° 7'38.10"N 80°26'51.25"E M- 25° 7'39.59"N 80°26'48.43"E N- 25° 7'41.14"N 80°26'46.24"E O- 25° 7'41.69"N 80°26'44.24"E P- 25° 7'41.05"N 80°26'41.39"E Q- 25° 7'38.89"N 80°26'39.57"E R- 25° 7'32.41"N 80°26'38.86"E S- 25° 7'32.45"N 80°26'38.05"E T- 25° 7'38.35"N 80°26'38.14"E U- 25° 7'40.62"N 80°26'39.22"E V- 25° 7'42.49"N 80°26'42.20"E W- 25° 7'42.70"N 80°26'43.69"E X- 25° 7'42.46"N 80°26'45.55"E	150.00	143177	2,14,76,550	53,69,138

							Y- 25° 7'40.21"N 80°26'48.83"E Z- 25° 7'39.00"N 80°26'51.23"E A1- 25° 7'38.26"N 80°26'53.45"E A2- 25° 7'38.53"N 80°26'56.89"E A3- 25° 7'39.89"N 80°27'0.47"E A4- 25° 7'40.71"N 80°27'1.29"E A5- 25° 7'42.57"N 80°27'1.50"E A6- 25° 7'44.00"N 80°27'0.72"E A7- 25° 7'44.65"N 80°26'59.98"E A8- 25° 7'48.40"N 80°26'59.79"E A9- 25° 7'49.60"N 80°27'0.63"E				
3.	बालू/ मोरम	केन	नरैनी	बरसण्डा मानुपर/ 1553840201	3/1/1 का भाग (खण्ड सं0-01)	21.00	A-25° 8'32.95"N 80°21'48.54"E a-25° 8'24.57"N 80°21'32.54"E B-25° 8'17.89"N 80°21'24.18"E C-25° 8'5.44"N 80°21'24.23"E D-25° 8'7.00"N 80°21'22.40"E E-25° 8'3.48"N 80°21'22.93"E F-25° 8'0.60"N 80°21'24.29"E G-25° 7'34.10"N 80°21'19.18"E H-25° 7'34.93"N 80°21'17.33"E I-25° 8'1.43"N 80°21'21.71"E J-25° 8'9.18"N 80°21'19.51"E K-25° 8'14.98"N 80°21'19.25"E L-25° 8'21.02"N 80°21'21.63"E M-25° 8'26.90"N 80°21'28.98"E N-25° 8'34.31"N 80°21'43.24"E O-25° 8'37.23"N 80°21'47.76"E	150.00	302351	4,53,52,650	1,13,38,163
4.	बालू/ मोरम	केन	नरैनी	बरसण्डा मानुपर/ 1553840202	3/1/1 का भाग (खण्ड सं0-02)	21.00	A-25° 8'39.38"N 80°22'37.78"E B-25° 8'40.07"N 80°22'16.50"E C-25° 8'38.24"N 80°22'1.53"E D-25° 8'32.94"N 80°21'48.55"E E-25° 8'35.85"N 80°21'48.00"E F-25° 8'36.88"N 80°21'50.46"E G-25° 8'37.79"N 80°21'50.31"E H-25° 8'37.37"N 80°21'51.38"E I-25° 8'38.13"N 80°21'51.57"E J-25° 8'38.42"N 80°21'49.91"E K-25° 8'45.47"N 80°22'6.04"E L-25° 8'43.36"N 80°22'6.89"E M-25° 8'44.09"N 80°22'9.32"E N-25° 8'42.41"N 80°22'9.74"E O-25° 8'43.22"N 80°22'11.89"E P-25° 8'45.41"N 80°22'14.56"E Q25° 8'44.81"N 80°22'33.77"E	150.00	302351	4,53,52,650	1,13,38,163
5.	बालू/ मोरम	रंज	नरैनी	पुकारी/ 1553870201	504/1	2.41	A- 25° 7'9.22"N 80°25'52.57"E B-25° 7'0.59"N 80°25'58.94"E C-25° 6'58.72"N 80°25'59.45"E D- 25° 6'55.23"N 80°25'55.10"E E- 25° 6'55.14"N 80°25'46.37"E F- 25° 6'56.62"N 80°25'45.69"E G- 25° 6'56.79"N 80°25'53.91"E H-25° 6'58.74"N 80°25'57.60"E I-25° 7'1.98"N 80°25'57.00"E	150.00	35,987	53,98,050	13,49,513
6.	बालू/ मोरम	रंज	नरैनी	शहपाटन/ 1553900201	420, 530/2, 532, 709, 716	6.93	A- 25° 8'2.98"N 80°27'59.43"E B- 25° 8'2.78"N 80°28'0.42"E C- 25° 8'1.25"N 80°27'58.60"E D- 25° 7'59.28"N 80°27'54.12"E E- 25° 7'56.37"N 80°27'41.49"E F- 25° 7'56.69"N 80°27'35.21"E G- 25° 7'54.12"N 80°27'31.96"E H- 25° 7'44.36"N 80°27'27.42"E I- 25° 7'41.39"N 80°27'23.82"E J- 25° 7'40.78"N 80°27'18.49"E K- 25° 7'48.62"N 80°27'5.48"E L- 25° 7'49.05"N 80°27'5.66"E M- 25° 7'45.74"N 80°27'11.98"E N- 25° 7'41.73"N 80°27'18.25"E O- 25° 7'42.60"N 80°27'22.54"E P- 25° 7'44.62"N 80°27'25.88"E Q- 25° 7'56.80"N 80°27'31.84"E R- 25° 7'58.11"N 80°27'34.10"E S- 25° 7'57.63"N 80°27'41.53"E T- 25° 8'0.76"N 80°27'54.37"E	150.00	1,01,227	1,51,84,050	37,96,013

(3)

7.	बालू/ मोरम	केन	नरैनी	सिंघौटी/ 155390201	13/1, 13/3, 30/2, 400/2	3.55	<p>BLOCK - 01</p> <p>A- 25° 6'3.45"N 80°26'34.99"E B- 25° 6'9.50"N 80°26'29.33"E C- 25° 6'11.65"N 80°26'21.03"E D- 25° 6'7.69"N 80°26'13.63"E E- 25° 6'6.87"N 80°26'11.79"E F- 25° 6'12.54"N 80°26'19.40"E G- 25° 6'13.78"N 80°26'23.40"E H- 25° 6'11.37"N 80°26'29.59"E</p> <p>BLOCK - 02</p> <p>A- 25° 5'55.15"N 80°26'20.71"E D- 25° 5'53.20"N 80°26'25.98"E C- 25° 5'49.62"N 80°26'29.50"E D- 25° 5'45.78"N 80°26'30.26"E E- 25° 5'51.62"N 80°26'25.75"E</p> <p>BLOCK - 03</p> <p>A- 25° 4'56.24"N 80°27'2.68"E B- 25° 4'51.62"N 80°27'1.05"E C- 25° 4'51.72"N 80°26'59.51"E</p>	150.00	57,118	85,67,700	21,41,925
8.	बालू/ मोरम	रंज	नरैनी	खलारी/ 1554430204	585/1, 857, 859/1, 914, 954, 1248/2	6.648	<p>BLOCK - 01</p> <p>A- 25° 6'14.14"N 80°24'40.87"E B- 25° 6'8.08"N 80°24'39.61"E C- 25° 6'5.62"N 80°24'41.21"E D- 25° 6'6.72"N 80°24'39.37"E E- 25° 6'10.47"N 80°24'37.41"E F- 25° 6'13.62"N 80°24'39.02"E</p> <p>BLOCK - 02</p> <p>A- 25° 5'51.61"N 80°24'38.70"E B- 25° 5'51.13"N 80°24'32.71"E C- 25° 5'48.34"N 80°24'30.53"E D- 25° 5'43.68"N 80°24'30.36"E E- 25° 5'48.32"N 80°24'29.29"E F- 25° 5'50.44"N 80°24'30.20"E G- 25° 5'52.48"N 80°24'33.08"E</p> <p>BLOCK - 03</p> <p>A- 25° 5'41.38"N 80°24'31.33"E B- 25° 5'37.51"N 80°24'33.31"E C- 25° 5'34.88"N 80°24'31.40"E D- 25° 5'33.90"N 80°24'28.46"E E- 25° 5'34.07"N 80°24'25.28"E F- 25° 5'35.43"N 80°24'30.18"E G- 25° 5'37.65"N 80°24'31.86"E H- 25° 5'40.74"N 80°24'30.52"E</p> <p>BLOCK - 04</p> <p>A- 25° 5'32.61"N 80°24'27.27"E B- 25° 5'30.74"N 80°24'22.88"E C- 25° 5'29.10"N 80°24'21.32"E D- 25° 5'30.28"N 80°24'20.11"E E- 25° 5'31.83"N 80°24'22.52"E</p> <p>BLOCK - 05</p> <p>A- 25° 5'20.67"N 80°24'31.66"E B- 25° 5'19.00"N 80°24'36.16"E C- 25° 5'15.83"N 80°24'39.39"E D- 25° 5'13.87"N 80°24'39.39"E</p> <p>BLOCK - 06</p> <p>A- 25° 6'2.39"N 80°24'43.96"E B- 25° 5'58.31"N 80°24'48.35"E C- 25° 5'58.31"N 80°24'48.35"E D- 25° 5'53.19"N 80°24'46.48"E E- 25° 5'53.20"N 80°24'39.21"E F- 25° 5'55.92"N 80°24'45.45"E G- 25° 5'58.28"N 80°24'46.78"E</p>	150.00	94,652	1,41,97,800	35,49,450
9.	बालू/ मोरम	बागे	नरैनी	गोपरा/ 1554440201	2/1, 473mi, 474, 659	4.21	<p>BLOCK - 01</p> <p>A- 25° 6'36.83"N 80°27'8.37"E B- 25° 6'38.99"N 80°27'13.63"E C- 25° 6'39.74"N 80°27'19.81"E D- 25° 6'39.55"N 80°27'21.18"E E- 25° 6'38.06"N 80°27'13.99"E F- 25° 6'36.25"N 80°27'8.97"E G- 25° 6'33.84"N 80°27'6.32"E</p>	150.00	58,882	88,32,300	22,08,075



(4)

							BLOCK - 02 A- 25° 6'29.02"N 80°26'54.34"E B- 25° 6'28.33"N 80°26'55.58"E C- 25° 6'26.04"N 80°26'42.97"E D- 25° 6'24.08"N 80°26'39.75"E E- 25° 6'19.35"N 80°26'39.02"E F- 25° 6'14.67"N 80°26'40.74"E G- 25° 6'14.28"N 80°26'39.26"E H- 25° 6'16.95"N 80°26'38.18"E I- 25° 6'23.88"N 80°26'38.06"E J- 25° 6'28.10"N 80°26'43.97"E BLOCK - 03 A- 25° 7'17.67"N 80°25'49.85"E B- 25° 7'19.35"N 80°25'53.32"E C- 25° 7'18.79"N 80°25'55.93"E D- 25° 7'17.82"N 80°25'56.90"E E- 25° 7'16.74"N 80°25'56.66"E F- 25° 7'17.78"N 80°25'53.89"E G- 25° 7'17.15"N 80°25'52.22"E H- 25° 7'16.46"N 80°25'51.36"E				
10.	बालू/ मोरम	केन	नरैनी	चंदपुरा/ 1554490201	269, 287, 313	1.445	BLOCK - 01 A- 25° 4'52.78"N 80°24'22.07"E B- 25° 4'51.16"N 80°24'21.75"E C- 25° 4'50.32"N 80°24'17.45"E D- 25° 4'50.68"N 80°24'17.12"E E- 25° 4'52.36"N 80°24'18.86"E BLOCK - 02 A- 25° 4'48.93"N 80°24'27.33"E B- 25° 4'50.70"N 80°24'23.24"E C- 25° 4'52.11"N 80°24'23.66"E BLOCK - 03 A- 25° 4'35.51"N 80°23'55.82"E B- 25° 4'30.53"N 80°23'53.30"E C- 25° 4'26.24"N 80°23'54.76"E D- 25° 4'29.58"N 80°23'52.61"E E- 25° 4'32.88"N 80°23'53.19"E	150.00	20,527	30,79,050	7,69,763
11.	बालू/ मोरम	केन	पैलानी	नरीखादर / 2174500201	224/47	4.314	A- 25°44'41.62"N 80°26'22.26"E B- 25°44'37.13"N 80°26'37.07"E C- 25°44'33.62"N 80°26'35.49"E D- 25°44'37.48"N 80°26'24.27"E E- 25°44'38.05"N 80°26'24.58"E F- 25°44'39.50"N 80°26'21.18"E	150.00	60,455	90,68,250	22,67,063
12.	बालू/ मोरम	केन	पैलानी	खपटिहा कलां/ 2174390208	426/7	8.724	A- 25°41'3.32"N 80°22'22.27"E B- 25°41'4.02"N 80°22'21.95"E C- 25°41'3.99"N 80°22'21.86"E D- 25°41'6.07"N 80°22'20.81"E E- 25°41'5.94"N 80°22'20.53"E F- 25°41'7.31"N 80°22'20.00"E G- 25°41'7.12"N 80°22'19.63"E H- 25°41'7.93"N 80°22'19.31"E I- 25°41'8.16"N 80°22'19.68"E J- 25°41'35.19"N 80°22'5.53"E K- 25°41'52.57"N 80°21'56.86"E L- 25°41'52.82"N 80°21'57.93"E M- 25°41'45.41"N 80°22'1.69"E N- 25°41'39.86"N 80°22'6.26"E O- 25°41'3.68"N 80°22'23.24"E	150.00	1,24,812	1,87,21,800	46,80,450

- ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा नदी तल स्थित उपखनिजों के खनन पट्टा अधिकतम अवधि 05 वर्ष के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख निष्पादन की तिथि से की जायेगी।
- ई-निविदा सह ई-नीलामी की बिड/बोली उपखनिज की प्रति घन मीटर के लिये दी जायेगी, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अनुसूची-1 में निर्धारित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। इससे भिन्न बिड/बोली दिये जाने पर बिड/बोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्रीबिड अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम बिड/बोली की दर (रुपया प्रति घनमी0) को क्षेत्र में आंकलित मात्रा (घनमी0) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी।



(5)

4. ई-निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई-निविदा सम्पन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई-निविदा (e-tender) देने का मौका प्रदत्त होगा जो पुनरीक्षित (Revise) नहीं किया जा सकेगा। ई-निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुये द्वितीय चरण में ई-नीलामी कराया जायेगा, जिसके दौरान बिडर्स ई-नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई-बिड दे सकता है। ई-नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुये बिडर अपना बिड पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते है।
5. किसी क्षेत्र के ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा।
6. एम0एस0टी0सी0 लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से ई-निविदा सह ई-नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन एम0एस0टी0सी0 के ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जायेगी।
7. इच्छुक आवेदकों के लिये ऑनलाईन बिड/बोली हेतु Class III Singning type डिजीटल सिग्नेचर सार्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम0एस0टी0सी0 के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् ही ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे। ई-निविदा सह ई-नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान डी0एस0सी0 की वैधता बनाये रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
8. पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर आनलाईन अधिकतम 02 (दो) क्षेत्र या कुल 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिये बिड में भाग ले सकेगा परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग-अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्ट मनी एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर प्रदर्शित प्रक्रिया के अनुसार एम0एस0टी0सी0 के पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा। किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में पूर्व से 02 (दो) क्षेत्र या कुल 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक के खनन पट्टे धारित होने पर वे बिड में भाग नहीं ले सकेंगे। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिये सरकार के पक्ष में रु0-15,000 (रु0 पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा।
9. ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को एम0एस0 टी0सी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-ऑक्शन पोर्टल [WWW.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिये स्वयं जनित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस ऑनलाईन पंजीयन के उपरान्त बिडर्स को एम0एस0टी0सी0 द्वारा भेजा गया सूचना ई-मेल प्राप्त होगा, जिसके पश्चात् बिडर्स को आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 को ऑनलाईन भेजना अनिवार्य होगा, साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी0एस0टी0 सहित रु0-2,360 (रु0 दो हजार तीन सौ साठ मात्र) एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही बिडर्स का लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड एवं एकाउन्ट एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा। पूर्व में पंजीकृत बिडर्स जिसके पंजीकरण की अवधि वैध है, उन्हें पंजीकरण शुल्क देना नहीं होगा परन्तु नये नियमों के अनुसार आवश्यक अभिलेख यथा हैसियत प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात् ही उनका पंजीकरण चालू (Activate) हो पायेगा।
10. पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा :-
 - (1) आवेदक के आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामले में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण पत्र की प्रति।
 - (2) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ पत्र की कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहां आवेदक स्थाई रूप से निवास करता हो।

(6)

- (3) आवेदक का पैनकार्ड की प्रति, फर्म या कम्पनी के मामले में उसका पैनकार्ड एवं जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।
 - (4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई-निविदा सह ई-नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक का नाम, खाता संख्या आई0एफ0एस0सी0 कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति,
 - (5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र। जहां आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है वहाँ इस आशय का शपथ पत्र की प्रति।
 - (6) स्वयं का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारन्टी, जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो।
11. एम0एस0टी0सी0 द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की वेबसाइट से वसूली प्रमाण पत्र एवं ब्लैक लिस्ट की सूची से मिलान करने के उपरान्त केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा, जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्ह हो। नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं :-
- (1) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है।
 - (2) जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है।
 - (3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहाँ वह स्थाई रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है। शर्त यह है कि उक्त चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।
 - (4) जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।
 - (5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।
 - (6) फर्म/कम्पनी के मामलों में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।
 - (7) जिसने हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारन्टी, जो बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो प्रस्तुत न किया हो।
12. ऑनलाईन ई-निविदा डालने तथा ई-नीलामी की बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल WWW.mstcecommerce.com पर प्रदर्शित की जायेगी।
13. ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिये इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिये पृथक-पृथक रु0-15000 (रु0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेस्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।
14. सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी। आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में बदलाव मान्य नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अनुमोदन उपरान्त बैंक खाते का बदलाव किया जा सकता है।
15. जहां किसी भी कारण से ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात् पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की जा सकती है।
16. अधिकतम दो खनन पट्टें या 50 हे0 से अधिक के क्षेत्र को, उ0प्र0 राज्य में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में दो खनन पट्टें या 50 हे0 से अधिक के खनन पट्टें स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टें निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के दो क्षेत्र अथवा 50 हे0 के खनन पट्टें ही अनुमन्य होंगे। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में दो खनन पट्टें या 50 हे0 से अधिक के खनन पट्टें हेतु जारी लेटर आफ इटेन्ट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी। नियमावली-2021 के पूर्व के प्रकरण इस शर्त से आच्छादित नहीं होंगे।

(7)

17. ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया :-

- (1) ई-निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई-निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत डाली जायेगी। बिड की दर प्रत्येक उपखनिज के लिये प्रतिघन मीटर के लिये दी जायेगी जो सम्बन्धित उपखनिज के लिये नियमावली-2021 के अनुसूची-1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नहीं होगा। विज्ञापित के अनुसार क्षेत्रवार प्राप्त ई-निविदा को एक साथ न खोलकर पृथक-पृथक खोला जायेगा। प्रत्येक क्षेत्र के प्रथम चरण की ई-निविदा खोलने के तत्काल 02 घण्टे बाद द्वितीय चरण की ई-नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
- (2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-
 - (क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में प्रति घन मीटर दिया गया दर नियमावली-2021 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिये निर्धारित रायल्टी दर से 400 प्रतिशत से अधिक है तथा शेष शर्तें पूर्ण करता हो तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदा दाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।
 - (ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होता है और उक्त बिड (आफर) में प्रति घन मीटर में दिया गया दर नियमावली-2021 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिये निर्धारित रायल्टी दर से अधिक परन्तु 400 प्रतिशत से कम है तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुये स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे।
 - (ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पाँच या पाँच से कम बिड प्राप्त होता है तो सभी बिड कर्ता द्वितीय चरण की ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।
 - (घ) यदि पाँच से अधिक बिड/आफर प्राप्त होते हैं तब केवल पाँच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई-नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।
- (3) उपरोक्त प्रस्तर-17(2)(ग)(घ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते हैं।
- (4) द्वितीय चरण में ई-नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई-नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/आफर द्वितीय चरण की ई-नीलामी के लिये न्यूनतम बोली (Floor Price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।
- (5) ई-नीलामी की प्रक्रिया जो ई-निविदा खोलने के के तत्काल दो घण्टे बाद प्रारम्भ होगी, में इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकता है। ई-नीलामी की ऑनलाइन प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाइन ही दिया जा सकता है।
- (6) निर्धारित समय के पश्चात् बोली बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नहीं दिया जा सकता है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिये बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नहीं होती है।

3

(8)

(7) ई-निविदा सह ई-नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी :-


प्री-बिड अर्नेस्ट मनी जमा करने की अवधि	ई-निविदा से पूर्व एम0एस0टी0सी0 में अपेक्षित प्री बिड ईएमडी एवं आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 वेबसाइट पर वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार जमा करने की जिम्मेदारी बोलीदाता की है एवं बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लें।
प्रथम चरण ई-निविदा (ई-टेण्डर) की अवधि	26.07.2023 (पूर्वाह्न 10.00 बजे) से 31.07.2023 (सायं 05.00 बजे) तक
प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	01.08.2023 पूर्वाह्न 10.00 बजे से 12:00 बजे तक क्रमांक 01 व 02 पर विज्ञापित क्षेत्र।
	02.08.2023 पूर्वाह्न 10.00 बजे से 12:00 बजे तक क्रमांक 03 व 04 पर विज्ञापित क्षेत्र।
	03.08.2023 पूर्वाह्न 10.00 बजे से 12:00 बजे तक क्रमांक 05 व 06 पर विज्ञापित क्षेत्र।
	04.08.2023 पूर्वाह्न 10.00 बजे से 12:00 बजे तक क्रमांक 07 व 08 पर विज्ञापित क्षेत्र।
	07.08.2023 पूर्वाह्न 10.00 बजे से 12:00 बजे तक क्रमांक 09 व 10 पर विज्ञापित क्षेत्र।
	08.08.2023 पूर्वाह्न 10.00 बजे से 12:00 बजे तक क्रमांक 11 व 12 पर विज्ञापित क्षेत्र।
द्वितीय चरण ई-नीलामी की अवधि	01.08.2023 अपरान्ह 02.00 बजे से 04.00 बजे तक क्रमांक-01 व 02 पर विज्ञापित क्षेत्र।
	02.08.2023 अपरान्ह 02.00 बजे से 04.00 बजे तक क्रमांक-03 व 04 पर विज्ञापित क्षेत्र।
	03.08.2023 अपरान्ह 02.00 बजे से 04.00 बजे तक क्रमांक-05 व 06 पर विज्ञापित क्षेत्र।
	04.08.2023 अपरान्ह 02.00 बजे से 04.00 बजे तक क्रमांक-07 व 08 पर विज्ञापित क्षेत्र।
	07.08.2023 अपरान्ह 02.00 बजे से 04.00 बजे तक क्रमांक-09 व 10 पर विज्ञापित क्षेत्र।
	08.08.2023 अपरान्ह 02.00 बजे से 04.00 बजे तक क्रमांक-11 व 12 पर विज्ञापित क्षेत्र।

(8) परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन :-

(क) प्रथम चरण की निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer) के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात् अधिकतम निविदा धनराशि (बिडिंग एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य है अथवा नहीं को भी लॉगिन कर जान सकते है।

(ख) एकल निविदा के मामलों को छोड़कर शेष मामलों में द्वितीय चरण की ई-नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

18. पट्टें का दिया जाना : नियमावली के नियम-28 के प्राविधानों के अनुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को उपरोक्त प्रस्तर-17(2) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक सप्ताह के अन्दर लेटर आफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।
19. ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात् 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी, जहां क्षेत्र स्थित है, के द्वारा कराना होगा। अभिलेख-सत्यापन के पश्चात् ही जिलाधिकारी द्वारा आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र कूटरचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेंट जारी नहीं किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।
20. लेटर आफ इन्टेंट में निम्न विवरण होंगे :-
 - (1) प्रथम वर्ष के लिये देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिये विज्ञापित में आंकलित मात्रा घन मीटर को ई-निविदा/ई-नीलामी की दर रुपया घन प्रति मीटर से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
 - (2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टें की निर्बंधनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिये प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किस्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि का 20 प्रतिशत दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किस्त में समायोजित कर ली जायेगी।
 - (3) पट्टें के प्रथम वर्ष की शेष किस्ते एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली-2021 के पंचम




(9)

अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी। पूर्व के परिहारधारको द्वारा पंचम अनुसूची प्रक्रिया अन्तर्गत धनराशि जमा करने के अनुरोध पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

- (4) पट्टाधारक नियम-17 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमाकन करायेगा जिसमें सीमा बिन्दुओं का जिओ-कोआर्डिनेटस भी इंगित किया जायेगा तथा नियम-36 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा और इसका सदैव अनुरक्षण करेगा।
 - (5) चयनित आवेदक नियम-35 के प्राविधानों के अन्तर्गत एक माह के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं अनुमोदित खनन योजना के दिनांक से एक माह के अन्दर पर्यावरण अनापत्ति की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा।
 - (6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम-35 के अनुसार क्षेत्र के भूमि-उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय अशवासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।
 - (7) आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी होने के एक माह के भीतर अनुमोदन हेतु देय प्रतिभूति एवं प्रथम किश्त की धनराशि जमा के प्रमाण सहित खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के एक माह के भीतर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (8) पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन कराकर खनन संक्रियां तत्काल प्रारम्भ की जानी होगी।
21. सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति :
- (1) स्वीकृत पट्टों की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिये मानी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न होने पर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की मात्रा अनुमन्य होगी। पट्टा क्षेत्र हेतु अनुमन्य मात्रा को प्रथम वर्ष के लिये प्राप्त बोली की दर से गुणा कर प्रथम वर्ष हेतु नीलामी की धनराशि निर्धारित की जायेगी। अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी तथा तदनुसार प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिये पट्टा धनराशि नियमावली-2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।
 - (2) लेटर आफ इन्टेंट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 20 प्रतिशत प्रथम किश्त अर्थात् पट्टों के प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित पट्टा धनराशि का 45 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि सम्बन्धित जनपद में विभाग के निर्धारित लेखाशीर्षक में लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित करते हुये जमा किया जाना होगा। प्रीबिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि एम0एस0टी0सी0 द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा आनलाईन हस्तान्तरित की जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।
 - (3) प्रथम वर्ष के लिये शेष 80 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिये पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।
 - (4) पट्टाधारक द्वारा पट्टा धनराशि के किश्तों के सापेक्ष राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।
22. शर्तें :-
- (1) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा, गुणवत्ता एवं खनन स्थल के लिये पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

- (2) पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कार्डिनेट्स अंकित किया जायेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्बों को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाएँ गये सीमांकन को इंगित करने के लिये आवश्यक होगा।
- (3) पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से तत्काल खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जानबूझ कर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षता पूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भांति करेगा।
- (4) पट्टाधारक नियम-36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिये स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट/तौल मशीन का निर्माण करेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगा और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0सी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गई समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-67 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।
- (5) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिये आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-2021 के नियम-60 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।
- (6) पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जल स्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नहीं करेगा।
- (7) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।
- (8) नदी की जलधारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
- (9) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहां परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिज का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
- (10) यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
- (11) विज्ञापित क्षेत्रों के सम्बन्ध में पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अधीन होगी।
- (12) नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।
- (13) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।
- (14) शर्त संख्या-19 के अनुसार ई-नीलामी के पश्चात् 03 कार्य दिवस के अन्दर मूल अभिलेख का सत्यापन नहीं कराने पर बयाने की धनराशि (अनेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।
- (15) पट्टाधारक द्वारा वन अनापत्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। खनिजों के परिवहन के लिये वन भूमि/वन मार्ग का प्रयोग नियमानुसार वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर किया जायेगा।



- (16) प्रकाशित विज्ञप्ति में यदि किसी प्रकार का कोई संशोधन किया जाता है तो, संशोधन की सूचना www.mstcecommerce.com पर प्रदर्शित की जायेगी। विज्ञप्ति में संशोधन की सूचना अलग से आवेदक को नहीं दी जायेगी।
- (17) ई-निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व खनन संक्रिया की साध्यता के विषय में मौके का स्वयं निरीक्षण कर ई-निविदादाता अवश्य ही आश्वस्त हो लें। ई-निविदा में प्रतिभाग करने का स्पष्ट आशय है कि ई-निविदा हेतु विज्ञापन में दर्शित खनिज की मात्रा, खनन क्रिया की साध्यता, खनन स्थल तक पहुंच मार्ग की उपलब्धता आदि के विषय में बिडर को कोई आपत्ति नहीं है।
- (18) सार्वजनिक सड़क, जलाशय, नहर, रेलवे/रेलवे लाईन, निवसित स्थल से 50 मीटर तथा नदी पर बने पुल से न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के अन्दर कोई खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
- (19) पट्टा समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक को अन्तरित किये जाने में प्रस्तावक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

जिलाधिकारी,
बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उ०प्र० शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
3. आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल बाँदा।
4. महा० प्रबन्धक (बी०ओ०) एम०एस०टी०सी० लि० द्वितीय तल सेन्टर कोर्ट बिल्डिंग 5, पार्क रोड़ हजरतगंज लखनऊ 226001 को विज्ञप्ति की एक प्रति एम०एस०टी०सी० के पोर्टल पर डालने हेतु।
5. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बाँदा।
7. जिला सूचना अधिकारी बाँदा को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बाँदा को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. उपजिलाधिकारी, बाँदा/नरैनी/पैलानी/बबेरू/अतर्रा को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति का व्यापक प्रचार प्रसार कराये।
10. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट बाँदा को कलेक्ट्रेट के सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।

जिलाधिकारी,
बाँदा।